प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1 जिला चौकी एसीबी, स्पेशल यूनिट अजमेर ....थाना सीपीएस, एसीबी, जयपुर वर्ष ... 2023...........

प्र.सू.रि.स. 76/2023 .... दिनांक 6/4/2023

2 (अ) अधिनियम ... भ्र0नि0अधिनियम(यथा संशोधन 2018) अधिनियम 1988 ......धारायें..7 पी0सी0 एक्ट 1988 (यथा संशोधन 2018)..........

(ब) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धारायें ....

(स) अधिनियम ....धारायें..........

(द) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3 (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या 108 समय 1:00 pm

(ब) अपराध घटने का दिन दिनांक 05.04.2023 समय 02.00 पी.एम ....

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 08.03.2023 समय .....02 15 पी.एम. ....

4 सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक :–

5 घटनास्थल :–

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी –एसीबी चौकी स्पेशल यूनिट अजमेर से दक्षिण–पश्चिम दिशा में करीब 6 किलोमीटर..........
(ब) पता :– कार्यालय सम्भागीय आयुक्त, अजमेर सम्भाग, अजमेर..........
..........बीट सख्या ....जरायमदेही स..........
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना..........जिला..........

6 परिवादी / सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम श्री हरिपाल वर्मा ....
(ब) पिता का नाम श्री भगवानलाल ....
(स) जन्म तिथि / वर्ष साल..........59 साल..........
(द) राष्ट्रीयता भारतीय ....
(य) पासपोर्ट सख्या ....जारी होने की तिथी..........जारी होने की जगह..........
(र) व्यवसाय भू–अभिलेख निरीक्षक वृत अलीगढ तहसील उनियारा जिला टोंक..........
(ल) पता प्लाट न0 07 विज्ञान नगर, रणथम्भौर रोड रीजेंसी होटल के पीछे बजरिया सवाईमाधोपुर..........

7 ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

श्री याकूब बक्श पुत्र श्री अली बक्श उम्र 59 वर्ष जाति मुसलमान निवासी भूणाबाय केसर कीडस स्कूल वाली गली जयपुर रोड पुलिस थाना सिविल लाईन अजमेर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी कम रीडर कार्यालय सम्भागीय आयुक्त, अजमेर..........

8 परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–कोई नही..........

9 चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
..........95,000 रू0 रिश्वत राशि..........

10 चुराई हुई / लिप्त सम्पति का कुल मूल्य पंचनामा / यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो)..........
..........95,000 रू. रिश्वत राशि ....

11 ....

विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)

सेवामें श्रीमान् अति0 पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट, अजमेर विषय रिश्वत मांगने की शिकायत। महोदय, निवेदन है कि मेरा नाम हरिपाल वर्मा है। मैं भू–अभिलेख निरीक्षक वृत अलीगढ अतिरिक्त चार्ज खोहलया तहसील उनियारा जिला टोक के पद पर पदस्थापित हूं। उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक द्वारा मुझे राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण, अपील) के नियम 17 के तहत विभागीय नोटिस दिया गया तथा विभागीय कार्यवाही में मुझे दण्डित करते हुए अपने निर्णय कमांक जांच / 17सीसीए / 2022 / 1977 दिनांक 02.08.2022 के द्वारा एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया। उपखण्ड अधिकारी के इस निर्णय के विरूद्ध मेरे द्वारा श्रीमान् सम्भागीय आयुक्त अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है। मेरे द्वारा की गई अपील में निर्णय मेरे पक्ष मे करवाने के लिए सम्भागीय आयुक्त अजमेर का रीडर श्री याकुब बक्श 1,50,000 रू0 रिश्वत राशि की मांग की है। मैं श्री याकूब बक्श को रिश्वत नहीं देकर उसे रिश्वत लेते हुए पकडवाना चाहता हूँ। कृपया कार्यवाही करें। प्रार्थी एसडी हरिपाल वर्मा दिनांक 08.03.23 आईएलआर अलीगढ हरिपाल वर्मा तहसील उनियारा जिला टोंक मोबाईल नं0 9414553084

कार्यवाही पुलिस भ्र0नि0ब्यूरो, स्पेशल यूनिट–अजमेर

दिनांक 08.03.2023 को श्री राकेश कुमार वर्मा उप अधीक्षक पुलिस को भ्र0नि0ब्यूरो, स्पेशल यूनिट–अजमेर पर उपरोक्त आशय की लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रस्तुत शुदा प्रार्थना पत्र के बारे में मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री हरिपाल वर्मा से पूछताछ की गई दरियाफ्त पर परिवादी ने बताया कि "श्री याकुब बक्श द्वारा मेरी प्रस्तुतशुदा अपील में अपने पक्ष मे निर्णय करवाने हेतु मेरे से खर्चा पानी की मांग की तथा बताया कि मैं आपके पक्ष में निर्णय पारित करवा दूंगा। जिसके लिये मुझे आपको 1.50 लाख रूपये देने होगे। मैं श्रीमान सम्भागीय आयुक्त महोदय से मिलकर आपका निर्णय आपके पक्ष में पारित करवा दूंगा। इस

3a

पर मैंने श्री याकुब बक्श को बताया कि मेरा वाजिब कार्य है तथा मेरी किसी प्रकार की कोई वसूली के कार्य में लापरवाही भी नहीं रही है, मैने इससे सम्बन्धित दस्तावेज पूर्व में ही अपील के साथ अपने जवाब में आपको प्रस्तुत कर दिए है। श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय उनियारा द्वारा भी मुझे 17 सीसीए के नोटिस की सुनवाई में साक्ष्य पेश करने का अवसर नहीं दिया गया था तथा उसके बावजूद भी उन्होंने जान–बूझकर दुर्भावनावश मेरे खिलाफ निर्णय पारित कर दिया। जिसकी अपील मैंने साक्ष्यों सहित आपके समक्ष प्रस्तुत की है। जिसमें सभी दस्तावेज एवं मेरा जवाब प्रस्तुत किया हुआ है। इस पर याकुब बक्श ने कहा कि आप चाहे किसी प्रकार का कोई दस्तावेज अथवा जवाब पेश करें, इससे कोई फर्क नहीं पडता है, निर्णय श्रीमान् सम्भागीय आयुक्त महोदय द्वारा किया जाना है। मै अच्छी तरह जानता हूँ, निर्णय किस तरह से पारित करवाने होते है। इस पर मैंने याकूब बक्श से विनती कर कहा कि यह मेरा वाजिब कार्य है, आप बताओ किस तरह से कराना है। इस पर श्री याकुब बक्श ने मेरे से 1,50,000 रू0 की रिश्वत राशि की मांग की तथा बताया कि रिश्वत राशि देने के उपरान्त ही आगामी तारीख पेशी पर उसी दिन आपके पक्ष में सम्भागीय आयुक्त महोदय से निर्णय पारित करवा दूंगा। दरियाफ्त में परिवादी ने बताया कि मेरी आरोपी श्री याकुब बक्श से किसी प्रकार की कोई उधार की राशि अथवा लेनदेन बकाया नही है एवं नाही मेरी उससे किसी प्रकार की कोई रंजिश अथवा द्वेषभावना है। परिवादी द्वारा दरियाफ्त व प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के आधार पर मामला पीसी एक्ट (संशोधन) 2018 का गठित होना पाया जाने से प्रकियानुसार रिश्वत राशि मांग का सत्यापन कराया जाना आवश्यक है। मन् उप अधीक्षक पुलिस ने कार्यालय की आलमारी से डिजीटल वॉइस रेकार्डर निकालकर नया मैमोरी कार्ड ईश्यू करवाकर परिवादी श्री हरिपाल वर्मा को वॉइस रेकार्डर चालू व बंद करने की समझाईश कर श्री याकुब बक्श से रिश्वत राशि का मांग सत्यापन कराने हेतु कहा गया तो परिवादी श्री हरिपाल वर्मा ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि याकुब बक्श द्वारा मुझे आगामी तारीख 22.03.23 को अग्रिम कार्यवाही हेतु बुलाया है। आज मेरी उससे रिश्वत मांगने के सम्बन्ध मे वार्ता हुई है, परन्तु उसने मुझे दिनांक 22.03.23 को ही वार्ता करने हेतु कहा है। अतः श्री याकुब बक्श आज मेरे से वार्ता नहीं कर आईन्दा दिनांक 22.03.23 को ही वार्ता करेगा। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी से प्राप्त प्रार्थना पत्र सुरक्षित रखा जाकर परिवादी को आवश्यक हिदायत प्रदान कर दिनांक 22.03.23 को उपस्थित आने हेतु पाबन्द कर रवाना किया गया। परिवादी से उसके कार्यो से सम्बन्धित निर्णय की प्रति एवं श्रीमान् सम्भागीय आयुक्त महोदय के समक्ष प्रस्तुत अपील के प्रार्थना पत्र की स्वप्रमाणित प्रति प्राप्त कर शामिल कार्यवाही की गई। दिनांक 21.03.2023 को परिवादी श्री हरिपाल वर्मा मन् उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित कार्यालय आया तथा बताया कि मेरी कल दिनांक 22.03.23 को अपील में तारीख पेशी नियत है। अपील में आवश्यक कार्यवाही हेतु मुझे कुछ दस्तावेज प्रस्तुत करने है। इसके लिए मै आज ही उपस्थित आया हूँ तथा सम्भागीय आयुक्त कार्यालय में पदस्थापित श्री याकुब बक्श से भी वार्ता कर रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवा सकता हूँ। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय की आलमारी से सरकारी डिजीटल वॉइस रेकार्डर व मैमोरी कार्ड ईश्यू करवाकर डिजीटल वॉइस रेकार्डर को चालु व बंद करने की समझाईश कर कार्यालय के श्री अर्जुन लाल कानि0 नं0 244 को अपने कार्यालय कक्ष में तलब किया। उपस्थित कानि0 का परिवादी से आपस में परिचय कराया जाकर की जाने वाली कार्यवाही के बारे में अवगत कराते हुये रिश्वत राशि मांग सत्यापन किये जाने हेतु निर्देशित किया। श्री अर्जुनलाल कानि0 को कार्यालय का वॉइस रेकार्डर मय मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर परिवादी के साथ रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाये जाने हेतु आवश्यक हिदायत देकर सम्भागीय आयुक्त कार्यालय अजमेर के लिए रवाना किया गया। कुछ समय पश्चात परिवादी व कानि0 अर्जुन लाल कार्यालय में उपस्थित आए। श्री अर्जुनलाल कानि0 ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड सुपुर्द किया तथा अवगत कराया कि "समय करीब 02.19 पीएम पर मैं व परिवादी सम्भागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर पहुचें। जहा परिवादी श्री हरिपाल वर्मा को कार्यालय का डिजीटल वॉइस रेकार्डर मय मैमोरी कार्ड को चालु किया जाकर परिवादी को एसओ से वार्ता करने हेतु सम्भागीय आयुक्त कार्यालय के लिए रवाना किया तथा मैं कार्यालय के आस–पास ही मौजूद रहा। थोडी देर बाद परिवादी श्री हरिपाल वर्मा मेरे पास उपस्थित आकर वाईस रिकार्डर सुपुर्द करते हुये बताया कि श्री याकुब बक्श कार्यालय मे उपस्थित नहीं है। कहीं बाहर गया हुआ है। मैंने वायस रिकार्डर को प्राप्त कर

(32)

बंद किया। परिवादी ने एसओ की उपस्थिति के बारे में जानकारी चाहने हेतु समय करीब 02.24 पीएम पर एसओ के मोबाईल नं0 9166459448 पर अपने मोबाईल नं0 9414553084 से वार्ता की तो एसओ ने वार्ता के अनुसार स्वयं को बाहर होना बताकर कल दिनांक 22.03.23 को उपस्थित आने हेतु कहा। आरोपी व परिवादी के मध्य हुई उक्त वार्ता को मेरे द्वारा कार्यालय के डिजीटल वाईस रेकार्डर के मैमोरी कार्ड मे परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर दर्ज की गई। दर्ज वार्तानुसार आरोपी आज कार्यालय मे उपस्थित नहीं है तथा उसने कल दिनांक 22.03.23 को उपस्थित आने हेतु कहा है।" परिवादी से भी पूछा तो कानि0 अर्जुन लाल के कथनों की पुष्टि करते हुए आरोपी द्वारा कल दिनांक 22.03.23 को कार्यालय बुलाए जाने बाबत बताया। प्रस्तुत शुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड में दर्ज आवाज को मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा चालु कर सुना गया तो परिवादी एवं कानि0 द्वारा बताये गए तथ्यों की ताईद हुई। तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी व कानिस्टेबल को आवश्यक हिदायत प्रदान कर दिनांक 22.03.23 को उपस्थित रहकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन कराने हेतु पाबन्द किया गया तथा परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर दिनांक 22.03.23 को कार्यालय समय में उपस्थित आने के निर्देश देकर रूख्स्त किया गया। दिनांक 22.03.23 को परिवादी श्री हरिपाल वर्मा कार्यालय में उपस्थित आए तथा अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जाने हेतु कार्यालय के श्री अर्जुन लाल कानि0 को तलब किया जाकर कार्यालय के डिजीटल वॉइस रेकार्डर मय मैमोरी कार्ड को सुपुर्द कर परिवादी के साथ रिश्वत राशि मांग सत्यापन कराये जाने हेतु रवाना किया गया। कुछ समय पश्चात परिवादी व श्री अर्जुनलाल कानि0 मय डिजीटल वॉइस रेकार्डर के मन् उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित कार्यालय आए तथा डिजीटल वॉइस रेकार्डर मन् उप अधीक्षक पुलिस को प्रस्तुत कर श्री अर्जुनलाल कानि0 ने अवगत कराया कि "परिवादी व आरोपी के मध्य वार्ता कराये जाने हेतु समय करीब 10.58 एएम के आस–पास परिवादी को वॉइस रेकार्डर चालु कर आरोपी से वार्ता करने हेतु सम्भागीय आयुक्त कार्यालय में रवाना किया। समय करीब 11.40 एएम के आस–पास परिवादी आरोपी से वार्ता कर मन् कानि0 के पास उपस्थित आकर डिजीटल वॉइस रिकार्डर सुपुर्द किया गया, जिसे मेरा द्वारा बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने बताया कि आरोपी ने मेरे पक्ष मे निर्णय कराने के बदले मे 1.00 लाख रू0 की रिश्वत राशि की मांग करते हुए एक लाख रूपये रिश्वत राशि लेना तय किया है।" इस पर कानि0 अर्जुनलाल द्वारा प्रस्तुतशुदा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को अपने पास सुरक्षित रखा तथा परिवादी से पूछताछ की जिसने भी कानि0 के कथन की पुष्टि की। इस पर परिवादी व कानि0 द्वारा बताये गए तथ्यों के आधार पर डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड में दर्ज वार्ता को सुना गया तो आरोपी द्वारा परिवादी के पक्ष मे उसकी अपील मे निर्णय पारित करवाने के बदले मे 1 लाख रू0 की रिश्वत राशि की मांग करते हुए मौके पर 5000 रू0 प्राप्त करना तथा शेष रिश्वत राशि 95,000 रूपये दिनांक 05.04.23 को मांग के अनुसरण में प्राप्त करने की ताईद हुई है। परिवादी द्वारा बताये गए तथ्यों की ताईद होने पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जानी है। अतः परिवादी को रिश्वत राशि के बाबत पूछताछ की गई तो परिवादी ने बताया कि आज उसके पास रूपयों की व्यवस्था नहीं है दिनांक 05.04.23 को रिश्वत राशि लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। इस पर परिवादी को दिनांक 05.04.23 को उपस्थित आने एवं गोपनीयता बरतने की आवश्यक हिदायत प्रदान कर कार्यालय से रूखसत किया तथा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को सुरक्षित मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय की आलमारी मे रखा गया। दिनांक 04.04.2023 को परिवादी श्री हरिपाल वर्मा ने उपस्थित कार्यालय होकर रिश्वत राशि की व्यवस्था हो जाने बाबत अवगत कराया। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जाने हेतु स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने से कार्यालय से एक तहरीर जारी कर कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी परिवहन कार्यालय अजमेर से स्वतन्त्र गवाह लाने हेतु कार्यालय के श्री नरेन्द्र कुमार उप निरीक्षक को रवाना किया गया। कार्यालय के श्री नरेन्द्र कुमार उप निरीक्षक मय दो स्वतन्त्र गवाहान के कार्यालय में उपस्थित आये जिनको मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपना परिचय देते हुए उनका परिचय पूछा तो उन्होने अपना नाम (1) श्री नितिन राज सेठी हाल सूचना सहायक कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी परिवहन विभाग अजमेर (2) श्री.नरेश कुमार हाल सहायक प्रोग्रामर कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी परिवहन विभाग अजमेर होना अवगत कराया। उपस्थित गवाहान को ट्रेप कार्यवाही के बारे में अवगत कराते हुए बताया कि किसी गोपनीय कार्यवाही में आपकी स्वतन्त्र गवाहान के रूप में आवश्यकता है।

उपस्थित गवाहान ने गोपनीय कार्यवाही के दौरान स्वतन्त्र मौतबिर बनने की मौखिक स्वीकृति प्रदान की। तत्पश्चात अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जाने हेतु परिवादी व स्वतन्त्र गवाहान का आपस में एक दूसरे से परिचय करवाया गया। उपस्थित स्वतन्त्र गवाहान को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं मांग सत्यापन के समय दर्ज की गयी वार्ता का मूल मैमोरी कार्ड निकाल कर की जाने वाली कार्यवाही के बारे में अवगत कराया। अग्रिम कार्यवाही हेतु परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गवाहान को पढकर सुनाया गया। गवाहान द्वारा प्रार्थना पत्र सुनकर एवं पढकर अंकित तथ्यों व संलग्न दस्तावेजो के बारे में परिवादी से पूछताछ कर गवाहान ने स्वेच्छा से अपनी सन्तुष्टि जाहिर की। डिजिटल वाईस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में आरोपी श्री याकुब बक्श रीडर व परिवादी श्री हरिपाल वर्मा के मध्य दिनांक 22.03.2023 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन के समय दर्ज वार्ता के मुख्य–मुख्य अंशों को चलाकर सुनाया गया तो गवाहान ने आरोपी याकुब बक्श रीडर द्वारा परिवादी श्री हरिपाल वर्मा के विरूद्ध दायर विभागीय अपील में निर्णय पारित करवाने की एवज मे 1 लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग कर दौराने रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 22.03.23 को 5000 रू0 रिश्वत राशि प्राप्त करना तथा शेष रिश्वत राशि 95,000 रूपये दिनांक 05.04.23 को मांग के अनुसरण में दिये जाने की ताईद की। उपस्थित गवाहान द्वारा अग्रिम ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाहान सम्मलित होने की अपनी स्वेच्छा से सहमति प्रदान की। तत्पश्चात कार्यालय के श्री अर्जुन राम कानिस्टेबल से वाईस रिकार्डर में मूल मैमोरी कार्ड को डालकर वाईस रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से ऑपरेट कर परिवादी व स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति में रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट शब्द–ब–शब्द तैयार की गई। फर्द पर संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। मूल मैमोरी कार्ड से कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से 2 सीडियॉ तैयार की गई। मूल मैमोरी कार्ड को कपड़े की थैली में रखकर सिल्ड कर न्यायालय हेतु तथा एक सीडी को पृथक कपड़े की थैली में सिल्ड कर आरोपी हेतु तैयार की गई एवं अन्य शेष दूसरी सीडी को कागज के लिफाफे में डालकर अनुसंधान अधिकारी हेतु सुरक्षित रखी गई। कपड़े की थैलियों को सिल्डचिट कर संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर जमा मालखाना कराया गया तथा कागज के लिफाफे में डालकर अनुसंधान अधिकारी हेतु सुरक्षित रखी जाकर शामिल पत्रावली किया गया। चूंकि रिश्वत राशि आरोपी श्री याकुब बक्श रीडर द्वारा दिनांक 05.04.23 को प्राप्त की जानी है। अतः प्रकरण से संबंधित डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर व आर्टिकल आदि कार्यालय की आलमारी मे मन् उप अधीक्षक पुलिस ने सुरक्षित रखे। परिवादी को रिश्वत राशि लेकर आने के निर्देश देकर परिवादी व गवाहान को गोपनीयता बरतने की हिदायत कर दिनांक 05.04.23 को समय 09.30 एएम पर कार्यालय मे उपस्थित आने की समझाईश कर रवाना किया गया। दिनांक 05.04.2023 को परिवादी तथा गवाहान उपस्थित कार्यालय आए। अग्रिम ट्रेप कार्यवाही के तहत मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री हरिपाल वर्मा को रिश्वत राशि पेश करने हेतु कहा तो उसने गवाहान के समक्ष आरोपी श्री याकुब बक्श रीडर कार्यालय सम्भागीय आयुक्त, अजमेर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि अपनी जेब में से निकाल कर दो–दो हजार रूपये के 45 नोट एवं पांच सौ पांच सो के 10 नोट कुल राशि 95000 रूपये की राशि प्रचलित भारतीय मुद्रा के नोट प्रस्तुत किए। प्रस्तुत नोटों के नम्बर फर्द में अंकित कर नोटों के दोनों ओर कार्यालय के श्री सन्देश चौधरी कनिष्ठ सहायक से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाकर सोडियम कार्बोनेट एवं फिनोफ्थलीन पाउडर की रासायनिक प्रकिया को समझाया। कार्यवाही की फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट व दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर अलग से तैयार की जाकर संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रनिंग नोट की गई। समस्त स्टाफ एवं गवाहान के हाथ साबुन व साफ पानी से धुलवाये। परिवादी श्री हरिपाल वर्मा को रिश्वत राशि देने के उपरान्त किये जाने वाले ईशारे के बारे में अवगत कराया गया तथा आवश्यक हिदायत बरतने के निर्देश दिये गये। मन् उप अधीक्षक पुलिस ने कार्यालय की आलमारी मे रखे डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर में नया मैमोरी कार्ड ईश्यू करवाकर डाला। परिवादी श्री हरिपाल वर्मा को वॉइस रेकार्डर मय मैमोरी कार्ड के सुपुर्द कर कार्यालय के श्री अर्जुनलाल कानि0 के साथ मोटरसाईकिल से रवाना किया तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस, मय हमराहियान स्टाफ सर्वश्री नरेन्द्र कुमार उप निरीक्षक, श्री कन्हैयालाल स.उ.नि., श्री राजेश कुमार हैड कानि. 114, श्री गोविन्द वर्मा हैड कानि0 नं0 59, श्री लखन कानि. 420, श्री दामोदर कानि0 नं0 435, श्री कपिल कानि0 नं0 377 व स्वतन्त्र गवाह श्री नितिन राज सेठी व श्री नरेश कुमार के सरकारी वाहन बोलेरो मय

चालक श्री मनीष कुमार व प्राईवेट वाहन से मय ट्रेप बाक्स, लेपटाप व प्रिन्टर के बाद आवश्यक हिदायत के कार्यालय सम्भागीय आयुक्त, अजमेर के लिए रवाना हुआ। श्री सन्देश चौधरी कनिष्ठ सहायक को कार्यालय पर ही उपस्थित रहने के निर्देश प्रदान किये। मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान गवाहान परिवादी व स्टाफ के कार्यालय से रवाना होकर सम्भागीय आयुक्त कार्यालय अजमेर के पास पहुॅचे। जहा मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी को ईशारे से रूकवाया जाकर मोटरसाईकिल साईड मे खडी करवाकर आरोपी श्री याकुब बक्श रीडर से अपने कार्य के सम्बन्ध मे वार्ता करने व रिश्वत राशि देने हेतु रवाना किया। परिवादी के पीछे–पीछे श्री अर्जुनलाल कानि0 को अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्ता को यथासम्भव सुनने व देखने की हिदायत कर रवाना किया। मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के सम्भागीय आयुक्त कार्यालय के आस–पास अपनी उपस्थिति छुपाते हुए मौजूद रहकर परिवादी के निर्धारित ईशारे के इन्तजार मे मुकीम हुए। समय करीब 02.00 पीएम पर परिवादी श्री हरिपाल वर्मा ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को कार्यालय सम्भागीय आयुक्त के मुख्य दरवाजे के पास आकर रिश्वत राशि प्राप्ति का पूर्व निर्धारित ईशारा किया। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान स्टाफ सर्वश्री नरेन्द्र कुमार उ.नि., कन्हैयालाल स.उ.नि., श्री गोविन्द वर्मा हैड कानि., श्री राजेश कुमार हैड कानि., श्री कपिल कुमार कानि., श्री दामोदर कानि., श्री लखन कानि., श्री अर्जुनलाल कानि. व स्वतन्त्र गवाह श्री नितिन राज सेठी व श्री नरेश कुमार के परिवादी श्री हरिपाल वर्मा के पास कार्यालय सम्भागीय आयुक्त, अजमेर के मुख्य दरवाजे पर पहुचे। जहा परिवादी श्री हरिपाल वर्मा ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को कार्यालय का डिजीटल वॉइस रेकार्डर मय मैमोरी कार्ड अपनी जेब से निकालकर प्रस्तुत किया जिसका मेरे द्वारा अवलोकन किया गया तो उक्त वॉइस रेकार्डर बंद अवस्था में मिला, जिसे लेकर तत्समय कब्जे एसीबी लिया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री हरिपाल वर्मा ने अवगत कराया कि आरोपी श्री याकूब बक्श द्वारा रिश्वत राशि 95,000 रू0 प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की बायीं जेब में रख लिए हैं। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान स्टाफ व गवाहान के परिवादी को साथ लेकर कार्यालय सम्भागीय आयुक्त, अजमेर में प्रवेश किया। जहा परिवादी ने श्री याकूब बक्श के बैठने के कमरे की ओर लेकर गया तो उक्त कक्ष में कोई व्यक्ति बैठा हुआ नहीं मिला। जिस पर श्री याकूब बक्श की कार्यालय में तलाश की गई तो पास ही स्थित शौचालय में से श्री याकूब बक्श बाहर आता हुआ नजर आया। जिसकी ओर परिवादी श्री हरिपाल वर्मा ने देखते हुए बताया कि यही श्री याकूब बक्श रीडर सम्भागीय आयुक्त महोदय, अजमेर है। जिस पर उक्त व्यक्ति को अपना व हमराहियान स्टाफ व गवाहान का परिचय देकर की जाने वाली कार्यवाही से अवगत कराते हुए उससे उसका परिचय पूछा तो उक्त व्यक्ति घबरा गया व कुछ नहीं बोला। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा उक्त व्यक्ति को तसल्ली देकर उससे उसका परिचय जाना तो उसने अपना नाम श्री याकूब बक्श पुत्र श्री अली बक्श उम्र 59 वर्ष जाति मुसलमान निवासी भूणाबाय केसर कीडस स्कूल वाली गली जयपुर रोड पुलिस थाना सिविल लाईन अजमेर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी कम रीडर कार्यालय सम्भागीय आयुक्त, अजमेर होना बताया। उपस्थित परिवादी ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि याकूब बक्श द्वारा अभी–अभी मेरे से श्रीमान् सम्भागीय आयुक्त महोदय अजमेर को की गई विभागीय अपील में निर्णय मेरे पक्ष में पारित कराने के बदले में दिनांक 22.03.23 को एक लाख रू0 की रिश्वत राशि की मांग करते हुए मौके पर ही 5,000 रू0 प्राप्त किए तथा शेष रिश्वत राशि 95,000 रू0 आज अभी कुछ देर पहले इनकी मांग के अनुरूप ही इनको दिए हैं, जो इन्होने प्राप्त कर अपने कार्यालय कक्ष में कुर्सी पर बैठे–बैठे ही 95,000 रू0 अपने बाएं हाथ से प्राप्त कर पहनी हुई पेन्ट की बायीं जेब में रखे है। जिसके पश्चात मैं इनको खाना खाने की कहकर कार्यालय के मुख्य दरवाजे के बाहर आकर आपको निर्धारित ईशारा सिर पर हाथ फेरकर किया। आरोपी श्री याकूब बक्श को परिवादी श्री हरिपाल वर्मा से 95,000 रू0 की रिश्वत राशि प्राप्त करने के सन्दर्भ में पूछताछ की गई तो वे कुछ नहीं बोले, घबरा गए, पुनः तसल्ली देकर रिश्वत राशि प्राप्ति बाबत पूछा तो आरोपी श्री याकूब बक्श ने अपने स्पष्टीकरण मे बताया कि हरिपाल वर्मा ने जबरदस्ती 95,000 रू0 मेरी जेब में डाल दिए। मैने इनसे किसी प्रकार की कोई रिश्वत राशि की मांग नहीं की है। मौके पर उपस्थित परिवादी श्री हरिपाल वर्मा ने आरोपी की उक्त वार्ता का खण्डन करते हुए स्वतः ही बताया कि याकूब बक्शजी रीडर साहब झूंठ बोल रहे हैं, मैंने कोई रूपये इनको जबरदस्ती नहीं दिये हैं। इन्होंने मेरे द्वारा श्रीमान् सम्भागीय आयुक्त महोदय के समक्ष की गई विभागीय अपील में मेरे पक्ष में

निर्णय पारित कराने के बदले में दिनांक 22.03.23 को एक लाख रू0 की रिश्वत राशि की मांग करते हुए मौके पर ही 5,000 रू0 प्राप्त किए तथा शेष रिश्वत राशि 95,000 रू0 आज इनकी मांग के अनुरूप ही इनको दिए हैं, जो इन्होंने मेरे से प्राप्त कर अपने कार्यालय कक्ष में बैठकर कुर्सी पर ही 95,000 रू0 अपने बाएं हाथ से प्राप्त कर पहनी हुई पेन्ट की बायीं जेब में रखे हैं। इस पर आरोपी श्री याकूब बक्श से रिश्वत राशि बाबत जानकारी चाही तो वह चुप रहा तथा कुछ नहीं बोला। तत्पश्चात आरोपी श्री याकूब बक्श को पूछा गया कि उक्त 95,000 रू0 की राशि आपने स्वयं के लिए ली है अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्राप्त की है ? तो आरोपी याकूब बक्श ने उक्त रिश्वत राशि स्वयं के लिए परिवादी का फैसला उसके पक्ष में कराने के लिए लिया जाना स्वीकार किया। इस पर रिश्वत राशि की पूर्ण ताईद होने पर उपस्थित स्वतन्त्र गवाह श्री नरेश कुमार गुर्जर से आरोपी श्री याकूब बक्श सहायक प्रशासनिक अधिकारी कम रीडर की जामा तलाशी लिवायी गई तो आरोपी के शरीर पर पहनी हुई पेन्ट की सामने की बायीं जेब से 2000 व 500 रूपये के नोट होना पाये गये, जिनको गिनवाया गया तो 2,000–2,000 रू0 के पैतालीस नोट तथा 500–500 रू0 के दस नोट कुल 95,000 रू0 व एक मोबाईल फोन वीवो कम्पनी का मॉडल वी–25 व चार पहिया वाहन की चाबी होना पायी गई। आरोपी की पेन्ट की सामने की दायीं जेब की तलाशी में एक पर्स जिसमें 12,270 रू0 की नगद राशि, एवं पहचान पत्र, पेन कार्ड, एसबीआई बैंक का एटीएम कार्ड, इण्डियन बैंक एटीएम कार्ड, कार्यालय परिचय पत्र, आधार कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस होना पाये गए। उक्त 95,000 रू0 रिश्वत राशि के बारे में आरोपी श्री याकूब बक्श सहायक प्रशासनिक अधिकारी से पूछताछ की तो वह चुप रहे तथा अपनी गर्दन झुका ली व किसी प्रकार का कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया। बरामद रिश्वत राशि गवाह श्री नरेश के पास ही सुरक्षित रखवाई गई। इस प्रकार रिश्वत राशि प्राप्त करने की ताईद होने पर आरोपी श्री याकूब बक्श सहायक प्रशासनिक अधिकारी कम रीडर के दाहिने व बाएं हाथों को पोचों के उपर से कानि0 श्री अर्जुन व श्री कपिल कानि0 से पकडवाये जाकर उसके कार्यालय कक्ष मे प्रवेश किया तो वहां एक कार्यालय का कर्मचारी उपस्थित मिला, जिससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम जावेद अहमद, जमादार होना बताकर कार्यालय सम्भागीय आयुक्त, अजमेर में श्री याकूब बक्श के पास कार्य करना अवगत कराया। श्री जावेद अहमद को कार्यवाही के दौरान उपस्थित रहने की हिदायत प्रदान करते हुए मौके पर की जाने वाली अग्रिम ट्रेप कार्यवाही के तहत प्रक्रियानुसार ट्रेप बॉक्स में से दो साफ कांच के गिलास निकालकर कार्यालय में से साफ पानी लिया जाकर दो साफ कांच के गिलासों को साफ करवाकर दोनों गिलासों मे साफ पानी भरकर एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर उपस्थितगण को दिखाया गया तो सभी ने उक्त घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया। जिसमे अलग–अलग गिलासो के घोल में श्री याकूब बक्श के दाहिने व बांये हाथ की अंगुलियो एवं अंगूठे को बारी–बारी से डुबोकर धुलवाया गया तो दाहिने व बाए हाथ के धोवण का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ, जिसे उपस्थितगणों ने गुलाबी होना स्वीकार किया। तत्पश्चात चार कांच की साफ शीशियो को साफ कर दाहिने हाथ के धोवण को दो शीशीयो में आधा–आधा भरकर व बायें हाथ के धोवण को दो शीशीयों में आधा–आधा भरकर चारों शीशीयों को सील्ड चिट किया जाकर दाहिने हाथ के धोवण को क्रमशः मार्क आरएच 1, आरएच 2 एवं बांये हाथ के धोवण को क्रमशः मार्क एलएच 1 व एलएच 2 चिन्हित कर चिट व कपडे पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी श्री याकूब बक्श को परिवादी श्री हरिपाल वर्मा की अपील निर्णय से सम्बन्धित पत्रावली बाबत पूछताछ की गई तो आरोपी ने अपनी टेबल के सामने रखी हुई श्री हरीपाल की पत्रावली निकालकर मन् उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष प्रस्तुत की गई। प्रस्तुतशुदा पत्रावली का अवलोकन करने पर न्यायालय सम्भागीय आयुक्त अजमेर द्वारा निर्णय किए जाने का आदेश तैयार किया गया है, जिसमें श्रीमान् सम्भागीय आयुक्त महोदय के हस्ताक्षर किया जाना शेष है। उक्त प्रस्तुतशुदा मूल पत्रावली एवं नोटशीट एवं निर्णय आदेश की प्रतियों को प्राप्त कर कब्जे एसीबी ली गई। उपरोक्त बरामदशुदा नोटो का दोनों स्वतन्त्र गवाहान से पूर्व में बनायी गई फर्द पेशकशी रिश्वत राशि से नोटो का मिलान कराया गया तो नोटो के नम्बर हूबहू होना पाये गये, बरामदशुदा नोटों का विवरण इस प्रकार हैं :–

क.सं.	नोट का प्रकार	नोट नम्बर
1	एक नोट दो हजार रुपये का नोट नम्बर	3KK 923251
2	एक नोट दो हजार रुपये का नोट नम्बर	0EP 334133

32

3	एक नोट दो हजार रुपये का नोट नम्बर	2LA 103774
4	एक नोट दो हजार रुपये का नोट नम्बर	3AP 333733
5	एक नोट दो हजार रुपये का नोट नम्बर	0AD 463643
6	एक नोट दो हजार रुपये का नोट नम्बर	4FC 885551
7	एक नोट दो हजार रुपये का नोट नम्बर	9GK 625073
8	एक नोट दो हजार रुपये का नोट नम्बर	0BF 139022
9	एक नोट दो हजार रुपये का नोट नम्बर	5CV 056224
10	एक नोट दो हजार रुपये का नोट नम्बर	1AF 466743
11	एक नोट दो हजार रुपये का नोट नम्बर	7HS 399960
12	एक नोट दो हजार रुपये का नोट नम्बर	4BT 048616
13	एक नोट दो हजार रुपये का नोट नम्बर	9LL 602128
14	एक नोट दो हजार रुपये का नोट नम्बर	3FN 038421
15	एक नोट दो हजार रुपये का नोट नम्बर	1GU 983133
16	एक नोट दो हजार रुपये का नोट नम्बर	7DR 899938
17	एक नोट दो हजार रुपये का नोट नम्बर	1MM 926489
18	एक नोट दो हजार रुपये का नोट नम्बर	6FW 190244
19	एक नोट दो हजार रुपये का नोट नम्बर	8CG 893206
20	एक नोट दो हजार रुपये का नोट नम्बर	4GB 065249
21	एक नोट दो हजार रुपये का नोट नम्बर	3FL 114884
22	एक नोट दो हजार रुपये का नोट नम्बर	9KN 564022
23	एक नोट दो हजार रुपये का नोट नम्बर	6AB 324353
24	एक नोट दो हजार रुपये का नोट नम्बर	1GB 881161
25	एक नोट दो हजार रुपये का नोट नम्बर	4KT 943917
26	एक नोट दो हजार रुपये का नोट नम्बर	8ER 823296
27	एक नोट दो हजार रुपये का नोट नम्बर	9GD 216024
28	एक नोट दो हजार रुपये का नोट नम्बर	5MN 129150
29	एक नोट दो हजार रुपये का नोट नम्बर	4KF 109101
30	एक नोट दो हजार रुपये का नोट नम्बर	5CA 907306
31	एक नोट दो हजार रुपये का नोट नम्बर	3CC 992737
32	एक नोट दो हजार रुपये का नोट नम्बर	7FA 240864
33	एक नोट दो हजार रुपये का नोट नम्बर	6FL 032017
34	एक नोट दो हजार रुपये का नोट नम्बर	9EF 491705
35	एक नोट दो हजार रुपये का नोट नम्बर	0AV 159008
36	एक नोट दो हजार रुपये का नोट नम्बर	6AK 571685
37	एक नोट दो हजार रुपये का नोट नम्बर	9CH 428693
38	एक नोट दो हजार रुपये का नोट नम्बर	0DM 709471
39	एक नोट दो हजार रुपये का नोट नम्बर	7CE 398049
40	एक नोट दो हजार रुपये का नोट नम्बर	9AU 498431
41	एक नोट दो हजार रुपये का नोट नम्बर	4KF 543842
42	एक नोट दो हजार रुपये का नोट नम्बर	4AS 305597
43	एक नोट दो हजार रुपये का नोट नम्बर	8AR 363020
44	एक नोट दो हजार रुपये का नोट नम्बर	0EG 171118
45	एक नोट दो हजार रुपये का नोट नम्बर	9AP 092565
46	एक नोट पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	7QR 398178
47	एक नोट पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	6KL 542671
48	एक नोट पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	0CC 293092
49	एक नोट पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	1CH 750789
50	एक नोट पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	9GD 975327
51	एक नोट पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	4GS 730739
52	एक नोट पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	9LL 736002
53	एक नोट पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	6WN 573124

54	एक नोट पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	3UT 819370
55	एक नोट पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	8KR 145844

उपरोक्त बरामदशुदा नोटों पर कपडे की चिट लगाकर चिट पर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उपरोक्त कार्यवाही के दौरान कार्यालय सम्भागीय आयुक्त अजमेर के श्री जावेद अहमद जमादार उपस्थित रहे, जिनकी उपस्थिति में उपरोक्त समस्त कार्यवाही सम्पादित की गई। कार्यालय सम्भाग स्तर का कार्यालय होने से आम व्यक्ति व अन्य कार्यालय के कर्मचारियों के मौके पर उपस्थित होने की वजह से काफी भीड इकटठी हो गई। अतः सुरक्षा की दृष्टि से अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जाने हेतु आरोपी श्री याकूब बक्श सहायक प्रशासनिक अधिकारी कम रीडर को हमराह लेकर कार्यालय के सरकारी वाहन में बैठाकर श्री नरेन्द्र कुमार उप निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर आवश्यक निर्देश देकर कार्यालय स्पेशल यूनिट, अजमेर पहुचने के निर्देश प्रदान किए। मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान स्टाफ, गवाहान व माल वजह सबूत, रिश्वत राशि, परिवादी के कार्य से सम्बन्धित मूल पत्रावली, जामा तलाशी में मिला मोबाईल फोन, चाबी एवं अन्य दस्तावेज तथा नगद राशि 12,270 रू0 को लेकर अपने–अपने वाहनों से रवाना होकर समय करीब 03.15 पीएम पर कार्यालय भ्रनिब्यूरो स्पेशल यूनिट–अजमेर पर पहुचे। कार्यालय पहुंच आरोपी श्री याकूब बक्श की पहनी हुई पेन्ट के सामने की बायीं जेब जहॉ से रिश्वत राशि बरामद हुई है उक्त स्थान का धोवण लिया जाना है। जिस हेतु आरोपी के शरीर पर पहनी हुई पेन्ट को ससम्मान उतरवाया जाकर अन्य पायजामा की व्यवस्था कर प्रकियानुसार एक साफ कांच के गिलास में स्वच्छ पानी डालकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोलकर तैयार कर उपस्थितगण को दिखाया तो सभी ने उक्त घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया। आरोपी की पहनी हुई पेन्ट बरंग ग्रे की सामने की बायीं जेब को उलटवाकर सोडियम कार्बोनेट के घोल में डुबोया गया तो धोवण का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ। प्राप्त धोवण को दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरकर सिल्ड चिट कर कमशः मार्क पी–1, पी–2 अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद आरोपी की पेन्ट की सामने की बायीं जेब को सुखाया जाकर जेब पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर पेन्ट को एक सफेद कपडे की थैली में सीलकर सिल्डचिट किया जाकर उक्त पैकेट को मार्क "पी" अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर कराये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री याकूब बक्श को उसकी जामा तलाशी में मिले परिचय पत्र, बैंक एटीएम कार्ड, कार की चाबी सुपुर्द कर लौटायी गई। तत्पश्चात आरोपी श्री याकूब बक्श को परिवादी श्री हरिपाल वर्मा के द्वारा माननीय न्यायालय सम्भागीय आयुक्त कार्यालय अजमेर में दायर की गई विभागीय अपील की पत्रावली के सम्बन्ध में पूछताछ की गई तो आरोपी श्री याकूब बक्श ने कार्यालय की पत्रावली को देखकर बताया कि श्री हरिपाल वर्मा ने अपने विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा पारित दण्डादेश में श्रीमान् सम्भागीय आयुक्त महोदय, अजमेर के यहॉ दिनांक 12.10.22 को अपील प्रस्तुत की गई थी। जिसमे अपील पर दिनांक 02.12.22 को उक्त विभागीय अपील अदालत सम्भागीय आयुक्त अजमेर के प्रकरण संख्या 471/22 दर्ज की जाकर आगामी दिनांक 26.12.22 को अपील से सम्बन्धित मूल अभिलेख उपखण्ड अधिकारी उनियारा से तलब किये गए। दिनांक 26.12.22 को श्रीमान् सम्भागीय आयुक्त महोदय प्रशासनिक कार्य में व्यस्त होने से आगामी दिनांक 23.01.23 नियत की गई। दिनांक 23.01.23 को अपीलार्थी श्री हरिपाल वर्मा के उपस्थित होने पर साक्ष्यों से सम्बन्धित दस्तावेज प्राप्त कर पत्रावली श्रीमान् सम्भागीय आयुक्त महोदय के समक्ष प्रस्तुत की गई। जिसमे आगामी तारीख पेशी 22.03.23 व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत की गई। दिनांक 22.03.23 को श्रीमान् सम्भागीय आयुक्त महोदय के समक्ष हरिपाल वर्मा की व्यक्तिगत सुनवाई की गई, सुनवाई से सम्बन्धित हरिपाल वर्मा की कार्यालय की नोटशीट पर दिनांक 22.03.23 को हस्ताक्षर कराये गए। परन्तु उसकी किसी प्रकार की कोई ईबारत नोटशीट पर अंकित नहीं की गई। आरोपी श्री याकूब बक्श ने बताया कि 22.03.23 को

हरीपाल वर्मा की व्यक्तिगत सुनवाई श्रीमान् के समक्ष हो चुकी है मात्र श्रीमान् द्वारा आईन्दा निर्णय किया जाना अपेक्षित रखा गया। अपील से सम्बन्धित दस्तावेज मे आज दिनांक को कार्यालय के श्री ईकबाल मौहम्मद को श्री हरिपाल वर्मा के निर्णय को तैयार करने के निर्देश दिये गए। जिस पर कार्यालय के श्री ईकबाल मौहम्मद द्वारा हरिपाल वर्मा के अपील में निर्णय टंकण कर मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर श्रीमान् सम्भागीय आयुक्त महोदय के हस्ताक्षर कराये जाना शेष है। इस पर कार्यालय के श्री ईकबाल मौहम्मद को पूर्व से तलब कर कार्यालय मे उपस्थित होने हेतु कहा गया। जिसकी तलबी के उपरान्त कार्यालय के श्री नरेन्द्र कुमार उप निरीक्षक द्वारा श्री ईकबाल मौहम्मद को कार्यालय उपस्थित किया गया। उपस्थित श्री ईकबाल मौहम्मद से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मैंने श्री याकूब बक्श रीडर साहब के कहेमुताबिक यह फैसला टंकण किया है। यह निर्णय मेरे द्वारा कम्प्यूटर से टंकण कर श्री याकूब बक्श को आज ही सुपुर्द किया था। उपस्थित ईकबाल मौहम्मद को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 22.03.23 में परिवादी से हुई वार्ता के सम्बन्ध में पूछताछ की गई तो श्री ईकबाल मौहम्मद ने बताया कि मेने श्री हरिपाल वर्मा से फैसले के सम्बन्ध मे वार्ता की है, परन्तु रिश्वत राशि की मांग मेरे द्वारा नहीं की गई। रिश्वत राशि व फैसले के सम्बन्ध में श्री याकूब बक्श द्वारा ही वार्ता की गई है। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय सम्भागीय आयुक्त अजमेर की परिवादी से सम्बधित पत्रावली संख्या 471 का अवलोकन किया गया तो पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य एवं आरोपी एवं श्री ईकबाल मौहम्मद द्वारा मौके पर दिये गए स्पष्टीकरण के आधार पर परिवादी श्री हरिपाल वर्मा भू–अभिलेख निरीक्षक, अलीगढ तहसील उनियारा जिला टोंक का कार्य लम्बित होना पाया गया। प्रकरण में उक्त पत्रावली वांछित होने से पत्रावली के प्रत्येक पृष्ठ पर सम्बन्धित गवाहान के हस्ताक्षर कराये जाकर पत्रावली को पृष्ठांकन करवाकर कम संख्या 01 से 96 तक को प्राप्त कर शामिल कार्यवाही की गई तथा मूल पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु कार्यालय के श्री ईकबाल मौहम्मद कनिष्ठ सहायक कार्यालय सम्भागीय आयुक्त, अजमेर को सुपुर्द की गई। दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री याकूब बक्श की जामा तलाशी मे मिली नगद राशि 12,270 रू0 के बारे में पूछताछ की गई तो आरोपी श्री याकूब बक्श ने अपने स्पष्टीकरण मे बताया कि उक्त राशि मेरी वेतन बचत की राशि है, जो मैने घर खर्चे हेतु अपने पास रख रखी है। आरोपी द्वारा मौके पर दिये गये स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नहीं होने से एवं मार्च माह का वेतन प्राप्त नही होने पर दिया गया स्पष्टीकरण उचित प्रतीत नही होने से जामा तलाशी में मिली नगद राशि 12,270 रूपये कब्जे एसीबी ली गई। शेष जामा तलाशी में मिली कार की चाबी आरोपी श्री याकूब बक्श के कहेनुसार श्री ईकबाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय सम्भागीय आयुक्त, अजमेर को सुपुर्द की गई। परिवादी द्वारा मन् उप अधीक्षक पुलिस को रिश्वत राशि प्राप्ति का ईशारा करते समय कार्यालय का डिजीटल वॉइस रेकार्डर सुपुर्द किया गया तत्समय डिजीटल वॉइस रेकार्डर मय मैमोरी कार्ड के बंद हालत में प्राप्त हुआ। डिजीटल वॉइस रेकार्डर को चालु कर सुना गया तो रिकार्डर मे कोई वार्ता रिकॉर्ड नहीं होना पाई गई। जिसके सम्बन्ध में परिवादी से पूछताछ की गई तो अवगत कराया कि मेरे द्वारा कार्यालय मे अधिक समय होने से डिजीटल वॉइस रेकार्डर के साथ तकनीकि रूप से किसी प्रकार से बंद हो गया हो तो मेरी जानकारी मे नहीं है। मैं रिश्वत राशि आदान–प्रदान के लिए काफी समय तक कार्यालय सम्भागीय महोदय अजमेर के आगंतुक कक्ष में बैठा रहा था तथा आरोपी श्रीमान् सम्भागीय आयुक्त महोदय के कक्ष में सुनवाई मे व्यस्त था। रिश्वत राशि लेन–देन की कार्यवाही मे अधिक समय व्यतीत होने से एवं तकनीकि रूप से डिजीटल वॉइस रेकार्डर के बंद हो जाने से लेन–देन के समय आरोपी व परिवादी के मध्य हुई वार्ता दर्ज नहीं हो सकी। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री याकूब बक्श को दिनांक 22.03.23 को वक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन के समय हुई दर्ज वार्ता कि अनुसंधान अधिकारी की सीडी मे दर्ज आवाज को गवाहान व परिवादी के समक्ष आरोपी को सुनाई गई तो आरोपी ने दर्ज आवाज मे से एक आवाज अपनी व दूसरी आवाज परिवादी श्री हरिपाल वर्मा की एवं तीसरी

३८

आवाज श्री ईकबाल की होना स्वीकार किया। दर्ज आवाज से आज दिनांक 05.04.23 को रिश्वत राशि प्राप्त करने हेतु बुलाने की पुष्टि होती है। आरोपी श्री याकूब बक्श सहायक प्रशासनिक अधिकारी को जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया गया। बाद ट्रेप कार्यवाही सम्बन्धित घटना का नक्शा मौका घटनास्थल तैयार किया गया तथा आरोपी के निवास स्थान भूणाबाय केसर कीड्स स्कूल वाली गली जयपुर रोड, अजमेर की खाना तलाशी श्रीमती कंचन भाटी निरीक्षक पुलिस, भ्रनिब्यूरो, इन्टै0–अजमेर द्वारा की गई,जो शामिल पत्रावली की गई।

उपरोक्त तथ्यों एवं सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री हरिपाल वर्मा भू–अभिलेख निरीक्षक, वृत अलीगढ, तहसील उनियारा जिला टोंक को उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण एवं नियन्त्रण अपील) के नियम 17 के तहत नोटिस देकर एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया जाने पर परिवादी ने उक्त दण्डादेश के विरूद्ध अपील संख्या 471/22 सम्भागीय आयुक्त कार्यालय अजमेर के समक्ष पेश कर दर्ज करवाई गई। उक्त अपील का निर्णय परिवादी के पक्ष में करवाने के लिए सम्भागीय आयुक्त, अजमेर के रीडर श्री याकूब बक्श सहायक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा परिवादी से 1,50,000 रू0 की रिश्वत राशि की मांग की गई। दौराने रिश्वत राशि मांग सत्यापन दिनांक 22.03.23 को आरोपी श्री याकूब बक्श द्वारा एक लाख रूपये की रिश्वत राशि लेने की सहमति प्रदान करते हुए 5,000 रू0 रिश्वत राशि मांग सत्यापन के समय प्राप्त कर लिए तथा शेष रिश्वत राशि 95,000 रू0 आज दिनांक 05.04.23 को लेना तय किया। आज दिनांक 05.04.23 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन कर आरोपी श्री याकूब खान रीडर सम्भागीय आयुक्त कार्यालय, अजमेर को परिवादी से रिश्वत राशि मांग कर मांग के अनुसरण में 95,000 रू0 की रिश्वत राशि प्राप्त करने पर रंगे हाथो पकडकर आरोपी श्री याकूब बक्श के बरवक्त शरीर पर पहनी हुई पेन्ट के सामने की बांयी जेब से रिश्वत राशि 95,000 रू0 बरामद होने से आरोपी के दाहिने व बाए हाथ के धोवण का रंग क्रमशः गुलाबी तथा पेन्ट की बांयी जेब के धोवण का रंग गुलाबी प्राप्त होना पाया गया है। इस प्रकार आरोपी श्री याकूब बक्श सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय सम्भागीय आयुक्त, अजमेर का उक्त कृत्य जुर्म अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यथा संशोधन) 2018 का कारित पाया जाने से बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते क्रमांकन श्रीमान् महानिदेशक भ्र.नि.ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवामें प्रेषित है।

(राकेश कुमार वर्मा)
उप अधीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
स्पेशल यूनिट–अजमेर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री राकेश कुमार वर्मा, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट-अजमेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री याकूब बक्श, सहायक प्रशासनिक अधिकारी कम रीडर कार्यालय सम्भागीय आयुक्त, अजमेर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 76/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

(सवाई सिंह गोदारा)
महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक: 611-14 दिनांक 6.4.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर।
2. सम्भागीय आयुक्त, अजमेर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. अजमेर।

महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।